

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-27/2025

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-3170 दिनांक 21.08.2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में श्री फहीम अख्तर, (आई0डी0-जे0 11100), कनीय अभियंता (असैनिक), दुर्गावती बाँध प्रमंडल-1, भीतरीबाँध का स्वयं के विवाह निमित्त दिनांक 31.10.2025 से 11.11.2025 तक कुल-12 (बारह) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को उनके पत्रांक-3170 दिनांक 21.08.2026 के प्रसंग/अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध/कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल-1, भीतरीबाँध / श्री फहीम अख्तर, (आई0डी0-जे0 11100), कनीय अभियंता (असैनिक), दुर्गावती बाँध प्रमंडल-1, भीतरीबाँध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 5411 पटना, दिनांक - 16/9/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. Q. A. S. 14/09/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।